संख्या 3920/12ई03-21 (6)/73 (563)
दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 20, 1974

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्तीय मछली ऐक्ट 1948 ई0 (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 45, 1948 ई0) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि उक्त ऐक्ट की शेष धारायें 2 से 6 सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश में प्रवृत्त होंगी।

गिरजा प्रसाद पांडे
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक सूचना विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
6- राजस्व (4) अनुभाग।
7- वन (2) अनुभाग।
8- सिंचाई (4) अनुभाग।
9- पंचायती-राज अनुभाग ([illegible])।
10- अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
ह0 जगदीश प्रसाद
अनुसचिव।

प्रधान कार्यालय निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्र संख्या 100 / सामा0 शा0 दिनांक, लखनऊ 10-1-1975

प्रतिलिपि समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश / सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश / समस्त अधिकारी प्रधान कार्यालय को उक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
[illegible]
26/6/80
सहायक निदेशक मत्स्य,
[illegible]

(हरि मोहन गुप्ता)
सहायक निदेशक मत्स्य (वि)
कृते निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश
लखनऊ - 7

वर्ष 80-81 में श्री [illegible] जिलाधिकारी जालौन थे। (विशेष सचिव नहीं)
उक्त पत्र JD(T) महोदय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sd/-
MIS
CEO
Jalaun

कार्यालय आयुक्त,झाँसी मण्डल,झाँसी।

संख्या: 3351 /23-एल.बी.ए.-17(95-96) दिनांक: जून 2 ,99.

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
जालौन स्थान उरई।

विषय:- जनपद जालौन के ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों,जल संभरण के अन्य श्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाये जाने या कलुषित होने से बचाने के कार्य को नियंत्रित करने की उपविधि का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, जिला पंचायत,जालौन के पत्र संख्या-956/सी.सी./96-97 दिनांक 3-8-96 एवं संख्या-465/सा.सी./98-99 दिनांक 7-1-99 के संदर्भ में यह कहना है कि ग्रामसभाओं में विभिन्न तालाबों इत्यादि को ठेके पर उठाने के अधिकार सहित मत्स्याखेट हेतु प्रबन्ध भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह के अनुसार ग्रामसभाओं/भूमि प्रबन्ध समिति को है तथा इसी प्रकार सिंचाई विभाग इत्यादि के अधिकांश जलाशय मत्स्य विभाग के प्रबन्ध में है तथा उनमें मत्स्य आखेट का ठेका मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य पालन/आखेट को विनियमित/नियंत्रित करने का कार्य भी मत्स्यविभाग के जुम्मे है। ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन/आखेट के अधिकार ठेके पर देने का अधिकार जिला पंचायत,को भी प्रदान करने से दोहरी व्यवस्था लागू हो जावेगी, जिसका प्रशासनिक एवं तकनीकी दृष्टि से औचित्य नहीं है। वास्तव में ऐसी व्यवस्था से मत्स्य पालन/नियंत्रण का कार्यक्रम कुप्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी। अतः जिला पंचायत जालौन द्वारा उपरोक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित उपविधियों की पुष्टि न करके उन्हें अस्वीकार किया जाता है।

(मनजीत सिंह)
आयुक्त।

संख्या: /23-एल.बी.ए.-17(95-96) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उप निदेशक,मत्स्य,झांसी मण्डल,झाँसी को उनके पत्र सं0-55/दिनांक 6-4-99 के संदर्भ में भेजते हुये उनसे यह जानकारी अपेक्षित है कि नदियों में मत्स्य आखेट का ठेका स्वीकृत करने की क्या व्यवस्था वर्तमान में लागू है। कृपया इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करायें।

2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी,जालौन/झाँसी/ललितपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,झाँसी/ललितपुर।

(मनजीत सिंह)
आयुक्त।

अन्त पत्र J.D(T) महोदय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

CEO
Jalaun.